

33/731/2023/PIU-MRT/DFO/Muzaffarnagar/Payment of Plantation and Maintenance of Road (NKG-II)

पत्रांक-1508/14-1 (FP/UP/Road/43253/2019) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 23-11-2023 ।
सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी0आई0यू0 मेरठ, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- संशोधित प्रस्ताव जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 48.400 से कि0मी0 66.500 तक 27.7284 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 66.500 से 78.635 तक 11.1230 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-38.8514 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 5211 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4419 वृक्ष अर्थात् कुल- 9630 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के संबंध में।

पूर्व प्रस्ताव-जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 48.400 से कि0मी0 67.180 तक 27.7437 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-38.8514 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल- 12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्स प्लांट की अनुमति का प्रस्ताव।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/265/2021/एफ0सी0/300, दिनांक-16.08.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1164/14-1, दिनांक-17.10.2023 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर का 1.पत्रांक-1087/14-1, दिनांक-14.09.2023, 2. 1736/14-1, दिनांक-25.10.2023 ।

जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 48.400 से कि0मी0 66.500 तक 27.7284 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 66.500 से 78.635 तक 11.1230 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-38.8514 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 5211 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4419 वृक्ष अर्थात् कुल- 9630 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 16.08.2023 जो अधोहस्ताक्षरी के साथ -साथ आपको पृष्ठांकित भी है , के द्वारा विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-1) जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक- 16.08.2023 में उल्लिखित शर्त संख्या-2, शर्त संख्या-3 व शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है-

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि-

शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम/स्थल का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(हे0में)	दर	धनराशि (रु0में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6	7
शर्त संख्या-02 व 03	मिर्जापुर वन प्रभाग	लालगंज रेंज, लालगंज क0न0-3	17.00 हे0	-	2,32,57,599.00 (दो करोड बत्तीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ निनयानवे मात्र/-)	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		मडिहान रेंज, बेला क0न0-6	23.00 हे0	-		
	शिवालिक वन प्रभाग	बडकलां रेंज, बादशाहीबाग-1ए, भाग-1	10.00 हे0	-		
		बडकलां रेंज, बादशाहीबाग-1ए, भाग-2	10.00 हे0	-		
		मोहण्ड रेंज, खजनावर-2ए, भाग-2	10.00 हे0	-		
		मोहण्ड रेंज, खजनावर-2ए, भाग-3	10.00 हे0	-		

834/31/2023/PIU- MEERUT	शाकुम्बरी रेंज, सहन्सरा-2बी, भाग-5 (पटरी मिलान)	10.00 हे०	-	
	शाकुम्बरी रेंज, सहन्सरा-2बी, भाग-6 (पटरी मिलान)	06.00 हे०	-	

2- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2011- एफ०सी० (VOI-I) दिनांक-06.01.2022 के अनुपालन में बढी हुई एन०पी०वी० (नई दर)

शर्त संख्या-04	समाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर	27.7284 हे० (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत)		1228590.00 प्रति हे०	19,49,31,434.00 (उन्नीस करोड उनचास लाख ईक्कतीस हजार चार सौ चौतीस मात्र/-) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या -5-3/2011-एफ०सी०, दिनांक-06.12.2022 के अनुसार वन्य जीव विहार के अन्तर्गत स्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की दशा में 05 गुणा धनराशि के अनुरूप)
	सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर	11.1230 हे० (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत)		1436670.00 प्रति हे०	
	समाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर	50.9770 हे० (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गैर संरक्षित भूमि)		1228590 प्रति हे०	8,49,98,640.00 (आठ करोड उनचास लाख अट्ठानवे हजार छः सौ चालीस मात्र/-) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या -5-3/2011-एफ०सी०, दिनांक-06.12.2022 के अनुसार वन्य जीव विहार के अन्तर्गत स्थित गैर संरक्षित भूमि के प्रयोग की दशा में 01 गुणा धनराशि के अनुरूप)
	सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर	15.5699 हे० (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गैर संरक्षित भूमि)		1436670 प्रति हे०	
कुल योग (क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० शुद्ध वर्तमान मूल्य)-					30,31,87,673.00 (तीस करोड ईक्कतीस लाख सत्तासी हजार छः सौ तिहत्तर मात्र/-)

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक- 16.08.2023 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या-2 व 3 के अनुपालन में 96.00 हे० अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु धनराशि रुपये-23257599.00 (दो करोड बत्तीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ निनयानवे मात्र/-) एवं शर्त संख्या-4 के अनुपालन में 38.8514 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रुपये- 19,49,31,434.00 (रुपये उन्नीस करोड उनचास लाख ईक्कतीस हजार चार सौ चौतीस मात्र) एवं हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत निजी भूमि 66.5469 हे० का शुद्धवर्तमान मूल्य रुपये - 8,49,98,640.00 (आठ करोड उनचास लाख अट्ठानवे हजार छः सौ चालीस मात्र/-) कुल धनराशि रुपये- 30,31,87,673.00 (तीस करोड ईक्कतीस लाख सत्तासी हजार छः सौ तिहत्तर मात्र/-) की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 16.08.2023 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 26 तक की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताएँ इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रोत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया पटेल)
प्रभाषीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

शेष क्रमशः पेज 03 पर-

-:3:-

संख्या 1508 / (FP/UP/Road/43253/2019) दिनांकित 23-11-23

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,(वन संरक्षण)उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

3- प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग एवं शिवालिक वन प्रभाग, को सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लेखित शर्त संख्या 2 व 3 के क्रम में।

4- प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग, बिजनौर।

5- उप प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।